भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2751

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा से कामगारों का नाम हटाना

2751. श्री सेल्वाराज वी.,
श्री सुब्बारायण के.,
श्री आनंद भदौरिया:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10 अक्तूबर से 14 नवंबर 2025 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) डेटाबेस से सत्ताईस लाख श्रमिकों को हटाया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एमजीएनआरईजीएस डेटाबेस से एक ही माह की अवधि में इतने बड़े पैमाने पर श्रमिकों को हटाने के कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमजीएनआरईजीएस डेटाबेस से हटाए गए श्रमिकों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है और संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एमजीएनआरईजीएस डेटाबेस में जोड़े गए नए श्रमिकों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा और संख्या कितनी है;

(ङ) क्या केंद्र ने ई-केवाईसी अनिवार्य किया है और श्रमिकों के नाम, फोटो, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक खाता आदि में कोई विसंगति एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत श्रमिकों को कार्य एवं मजदूरी से वंचित करने के लिए पर्याप्त है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सभी डिजिटल ढांचों से अपरिचित श्रमिकों की सहायता हेतु किये गए उपाय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है। जॉब कार्ड का अद्यतन/विलोपन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। जॉब कार्डों का विलोपन मुख्य रूप से नकली/जाली/गलत जॉब कार्ड होने, ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके परिवार, शहरी के रूप में वर्गीकृत ग्राम पंचायत और जॉब कार्ड में केवल एक सदस्य का नाम होना और उसकी भी मृत्यु हो जाना आदि के कारण किया जाता है। हालांकि, श्रमिकों/जॉब कार्ड को हटाने के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिनियम के प्रावधानों और मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य या पात्र परिवार का कोई जॉब कार्ड हटाया/रद्द नहीं किया गया हो। दिनांक 10-10-2025 से 14-11-2025 की अवधि के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड से हटाए गए श्रमिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के डेटाबेस से हटाए गए श्रमिकों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा और संख्या तथा गत तीन वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना डेटाबेस में जोड़े गए नए श्रमिकों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा और संख्या **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) और (च) जॉब कार्ड सत्यापन एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 5 साल में एक बार जॉब कार्ड नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। इन वैधानिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और इनको बढ़ावा देने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे जॉब कार्ड सत्यापन और इसके आगे वर्तमान प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद नवीनीकरण के लिए एनएमएमएस ऐप (राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली) में पहले से उपलब्ध ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करें। इसका उद्देश्य समयबद्ध, पारदर्शी और कुशल तरीके से जॉब कार्ड सत्यापन करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता देना है। चूंकि 99.67% सक्रिय श्रमिकों का आधार पहले ही जोड़ा जा चुका है, ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग जॉब कार्ड के सत्यापन के सरल, विश्वसनीय, सटीक और कुशल तरीके के रूप में किया जा सकता है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे नेटवर्क संपर्कता आदि जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रक्रिया को यथासंभव सुचारू रूप देने

हेतु आवश्यक उपाय करें। ई-केवाईसी कहीं भी किया जा सकता है जैसा राज्य द्वारा तय किया जाए जैसे - कार्यस्थल पर, ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित विशेष शिविर आदि में। यह महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पारदर्शिता, दक्षता और सेवा वितरण में आसानी को मजबूती प्रदान करने वाला एक प्रगतिशील कदम है। जमीनी स्तर के अधिकारियों को सत्यापन प्रक्रिया को यथासंभव सुचारू बनाने के लिए विभिन्न मंचों के माध्यम से पर्याप्त रूप से अभिमुख, जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया है। ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए जॉब कार्ड का सत्यापन 01.09.2025 से शुरू हुआ और यह अभी भी चल रहा है। दिनांक 11.12.2025 तक 65.05% सक्रिय श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। यह उल्लेख किया जाता है कि ई-केवाईसी के माध्यम से गैर-सत्यापन के कारण किसी को भी काम या मजदूरी से वंचित नहीं किया जा सकता है।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2751 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

दिनांक 10-10-2025 से 14-11-2025 की अवधि के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना से हटाए गए श्रमिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या		
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**हटाए गए श्रमिकों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	130
2	आंध्र प्रदेश	1107339
3	अरुणाचल प्रदेश	896
4	असम	6920
5	बिहार	9610
6	छत्तीसगढ	65619
7	गोवा	2
8	गुजरात	5433
9	हरियाणा	309
10	हिमाचल प्रदेश	9877
11	जम्मू और कश्मीर	79070
12	झारखंड	2724
13	कर्नाटक	27004
14	केरल	20124
15	लद्दाख	604
16	लक्षद्वीप	18
17	मध्य प्रदेश	5327
18	महाराष्ट्र	15061
19	मणिपुर	1111
20	मेघालय	532
21	मिजोरम	1480
22	नागालैंड	1254
23	ओडिशा	80896
24	पुदुचेरी	3

25	पंजाब	16898
26	राजस्थान	13701
27	सिक्किम	1543
28	तमिलनाडु	33090
29	तेलंगाना	95084
30	त्रिपुरा	6341
31	उत्तर प्रदेश	17236
32	उत्तराखंड	6526
कुल योग		**1631762**

लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2751 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026	
		हटाए गए श्रमिकों की संख्या	जोड़े गए श्रमिकों की संख्या	हटाए गए श्रमिकों की संख्या	जोड़े गए श्रमिकों की संख्या	हटाए गए श्रमिकों की संख्या	जोड़े गए श्रमिकों की संख्या	हटाए गए श्रमिकों की संख्या	जोड़े गए श्रमिकों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	7517856	420892	1096736	545193	461733	647818	1838628	466136
2	अरुणाचल प्रदेश	34433	31492	58257	32907	58854	34487	31788	27285
3	असम	608253	1117601	792138	442061	1819212	629904	109634	1097275
4	बिहार	8900402	1360719	3178680	1185465	1561159	10134595	113296	1758713
5	छत्तीसगढ	1186037	302701	1395412	300728	1489327	502830	492178	502120
6	गोवा	24	789	34	462	73	534	12	999
7	गुजरात	559478	320480	975994	301571	174331	1077181	68031	174782
8	हरियाणा	17997	73693	18939	125142	18466	147281	10793	196117
9	हिमाचल प्रदेश	78439	84467	77015	93968	29714	108638	65797	35302
10	जम्मू और कश्मीर	107120	105093	212281	74125	103808	185737	241590	98971
11	झारखंड	2030163	555847	654727	996998	363396	640445	54112	380195

12	कर्नाटक	855967	860226	547661	577386	243101	458579	536372	339390
13	केरल	348598	180684	540033	149608	213578	154436	80517	145488
14	लद्दाख	7130	2713	3209	1544	2342	1364	3378	2154
15	मध्य प्रदेश	1471373	1099487	2698235	887779	224539	1006749	69874	641711
16	महाराष्ट्र	428628	869634	227851	1357519	156962	1291870	276271	3658135
17	मणिपुर	90027	29996	127349	52178	93300	63004	40784	52734
18	मेघालय	20466	47838	118486	59420	76109	71766	16628	45759
19	मिजोरम	10269	9959	15010	12102	28339	21118	21781	20622
20	नागालैंड	15155	29402	21754	26295	90310	76118	225264	63368
21	ओडिशा	7686413	627397	1499868	601525	1122016	1283764	346144	446436
22	पंजाब	598046	145722	127741	131897	45142	238015	64448	112911
23	राजस्थान	3046893	587522	2151059	651639	313844	1032942	183202	389222
24	सिक्किम	4528	4630	8792	4491	9200	3843	4828	2977
25	तमिलनाडु	782200	361637	1690416	438711	1716015	256050	141364	109197
26	तेलंगाना	1723810	157046	302478	263883	335382	233119	500698	57841
27	त्रिपुरा	37486	56381	103710	47169	44239	63607	63131	37576
28	उत्तर प्रदेश	8024982	1132879	5600653	842136	154356	2593617	72352	1249392
29	उत्तराखंड	35578	53883	124556	54818	169132	56553	59524	29983

		6							
30	पश्चिम बंगाल	8340066	405325	603689	14072	38642	10692	103	11335
31	अंडमान और निकोबार	320	912	190	1146	765	784	1096	897
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	265	145	1224	172	7809	186	4600
33	लक्षद्वीप	63	193	86	394	137	71	345	89
34	पुदुचेरी	49528	2131	2068	7752	2267	3075	568	2134
	कुल	**54937936**	**11039636**	**24975252**	**10283308**	**11159962**	**23038395**	**5734717**	**12161846**